AC (PLG) MPPR
Diary No....404
Date....25/05/12
Main Identity

Commr. (Plg.)-II
Diary No....1948
Date....22/5/12

उपाध्यक्ष कार्यालय
डायरी सं० ....1874-A
दिनांक....22/5/12

From: "ved prakash gupta" <vpgmcd@gmail.com>
To: "Ved Gupta" <vedgupta54@gmail.com>; <rgoenca@tobu.co.in>; <vcdda@dda.org.in>; <ltgov@nic.in>; <ltgovdelhi@nic.in>
Sent: Saturday, May 19, 2012 2:45 PM
Attach: DDAMpd-21.docx; MPD 2021 19052012.docx
Subject: suggestion MPD-2021

Sh. Ranjan mukerjee ,

PS to honorable LG Sh. Tajender khanna ji,

Plz forward to all concern .

thanks and regards

Ved prakash gupta
(Member MPD-2021 Sub group- industries)

Email secured by Check Point

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No....3536
Dated....28/5/12

C(Plg.)-II
22/5/12
AC(MPPR)
23/5/2012
Dir(MPR)
30/5
AD(Plg)I

डी.डी.ए ने जनता से मास्टर प्लान-2021 के पुर्नावलोकन के लिए जनता से सुझाव मांगे-

डी.डी.ए द्वारा दिल्ली के अन्दर जनता के लिए खुले हाऊस आयोजित किये गए। इसमें मास्टर प्लान-2021 के बारे में सुझाव आमन्त्रित किये। जिस में भारी मात्रा में जनता ने भाग लिया। इस में मास्टर प्लान कमेटी के सदस्य रहे वेद प्रकाश गुप्ता ने भाग लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि:-

1. गाँव का विकास सर्वोपरि है। गाँव के लिए रिडवल्पमैन्ट योजना बनाई जानी अति आवश्यक है। गाँव में स्कूल, हस्पताल, पार्क, समुदाय भवन, सीवर, पानी, बरसाती नालों इत्यादि की व्यवस्था की जाए एवं गाँव के लिए व्यवसायिक व्यवस्था की जाए ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जा सके।

2. गाँव की भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बढाया जाए व भुमि अधिग्रहण के बदले में प्लाट भूमिहार को दिये जाये ताकि वह अपने बच्चों के लिए रोजगार स्थापित कर सके।

3. पुरानी मार्कीटों जैसे नया बाजार, चावडी, सदर, श्रद्धानन्द मार्ग, रूई की मण्डी, करोल बाग इत्यादि स्थानों पर मालों का भण्डारण बन्द कर दिया है। उन्हें नरेला, होलम्बी, खेड़ा, बादली इत्यादि पर बने गोदामों को नियमित किया जाए।

4. गाँवों में गोदाम इत्यादि बनाने की अनुमति दी जाए।

5. पार्किंग की समस्या को देखते हुए स्टीलट इत्यादि आवश्यक कर दी जाए।

6. फार्म हाऊस जोकि लगभग 3000 के करीब है उनमें से कुछ नियमित है और कुछ अनियमित है सबको पास कर दिया जाए व उसमे निर्माण का एफ ए आर बढाया जाए।

7. मैट्रो कोरिडोर व मुख्य मार्ग को व्यवसायिक का दर्जा देकर मास्टर प्लान के अनुसार एफ ए आर 1.5 गुणा कर दिया जाए।

8. अनियमित कालोनी, गाँव व स्पेशल एरिया की तर्ज पर नियमित (ण्वचतवअमक) कालोनियों में भी उपविभाजन की अनुमति दी जाए।

9. उद्योगिक ईकाइयो में आई टी इन्डस्ट्री व 24 मीटर सडक पर व्यवसायिक उपयोग की अनुमति होने के कारण उद्योगिक ईकाई के तल की उचाई की सीमा 4.5 मीटर से कम की जाए।

10. बारात घरो इत्यादि का एफ ए आर बढा कर डेढ गुणा कर दिया जाए।

11. मकानो के आगे की बालकोनी .75 मिटर से बढाकर 2 मीटर कर दी जाए।

12. विस्थापितों को दिये गए डबल स्टोरी क्वाटरो को चार मंजिल बनाने की अनुमति दी जाए।

13. मास्टर प्लान के अनुसार सभी उद्योगिक क्षेत्रों को 100 मीटर चौडी सड़को के साथ जोड़ा जाए।

वेद प्रकाश गुप्ता
पूर्व उपनेता सदन

P.T.O.

Sub: <u>MPD- 2021 Suggestions</u>

The projected population according to MPD 2021 for the year 2021 is about 2.30 crore. Delhi is short of necessary space to provide shelter to 2.30 core residents in 2021. The maximum number of persons which can get necessary space @ 225 hectare per person comes to be sufficient for 2.20 core persons.

It is necessary to get the sufficient habilitation for 2.30 crore persons, the height of building should be increased upto 21 m and two more storey i.e. upto 6th storey should be allowed subject to:

1. Soil testing
2. Structure stability
3. Rainy water harvesting.
4. Provision for stilt & Shaft should be made necessary.
5. The Chajjas should be increased from .75 m to 2 m.
6. The necessary height required for the entry of car in the basement i.e. 7 foot should be relaxed and the entry to the basement should be permitted from set backs.
7. On the roof of the factory there should be allowing for laborers to live in.
8. The factory licenses should be issued on every floor as per MPD 2021.
9. The compensation for land acquisition to the farmers should be increased.
10. Re-development plan for villages and walled city (Special area) should be prepared at the earliest.
11. Necessary warehousing/godowns should be made available for Special Area Markets like Sadar Bazar, Ruin Mandi, Naya Bazar, Chawri Bazar, Shardanand Marg, Karol Bagh etc. in out skirts like Samayapur Badli, Rohini, Dwarka, G.T. Karnal Road, etc.
12. The storm water drain which directly fall into holy Yamunna should be discharged only after the treatment of sludge.
13. Sub division of plot in approved colony should be allowed.

(Ved Prakash Gupta)
Member-Master Plan 2021
Industry Grou.